

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 48]

रायपुर, सोमवार, दिनांक 1 फरवरी 2021 — माघ 12, शक 1942

खनिज साधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 22 जनवरी 2021

अधिसूचना

क्रमांक एफ 6-42/2012/12.— खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का सं. 67) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में, —

- नियम 2 के खण्ड (प प) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:-
“(प प प) “प्रीमियम राशि” से अभिप्रेत है निजी भूमि में स्वीकृत पट्टा क्षेत्र से निकासी किये जाने वाले खनिज के लिए राज्य शासन द्वारा निर्धारित दर पर रुपये प्रति घनमीटर/प्रति मीट्रिक टन अथवा अन्य मानक इकाई के आधार पर भुगतान किये जाने वाली राशि।”
- नियम 9 के उप-नियम (1) के खण्ड (क) में, शब्द “किसी भी क्षेत्र के लिए” के स्थान पर, शब्द “शासकीय भूमि के लिए” प्रतिस्थापित किया जाये।
- नियम 38क के उप-नियम (5) का लोप किया जाये।
- नियम 50 के उप-नियम (4) की सारणी में, सरल क्रमांक 3 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“4.	निजी भूमि पर प्रीमियम भुगतान के पश्चात् स्वीकृत उत्खन्न पट्टा	लागू नहीं	लागू नहीं	दस प्रतिशत	दस प्रतिशत”

- नियम 51 के उप-नियम (1) के खण्ड (ख ख क) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:-

“(ख ख क) थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) के आधार पर नीलामी राशि/प्रीमियम राशि नीचे दिये गये अनुसार होंगे:-

$$\text{मूल्य वृद्धि} = \frac{\text{नीलामी राशि/प्रीमियम राशि}}{\text{आधार वित्तीय वर्ष हेतु थोक मूल्य सूचकांक}} \times \frac{\text{चालू वित्तीय वर्ष हेतु थोक मूल्य सूचकांक}}{\text{मूल्य सूचकांक}}$$

(स्पष्टीकरण:- ई-नीलामी/निविदा के प्रकरण हेतु, शासकीय भूमि के लिए, एनआईटी जारी वर्ष, आधार वर्ष मान्य होगा तथा निजी भूमि के लिए, आवेदन प्राप्ति वर्ष, आधार वर्ष मान्य होगा।)”

6. नियम 51 के उप-नियम (19) में, अंक, शब्द एवं चिन्ह “31 सितंबर/30 अप्रैल” के स्थान पर, अंक, शब्द एवं चिन्ह “30 सितंबर/31 मार्च” प्रतिस्थापित किया जाये।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्बलगन पी., सचिव.

अटल नगर, दिनांक 22 जनवरी 2021

क्रमांक एफ 6-42/2012/12.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 6-42/2012/12, दिनांक 22-01-2021, का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्बलगन पी., सचिव.

Atal Nagar, the 22nd January 2021

NOTIFICATION

No. F 6-42-2012-12.— In exercise of the powers conferred by Section 15 of the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957 (No.67 of 1957), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Minor Mineral Rules, 2015, namely:-

AMENDMENT

In the said rules,-

- After clause (uu) of rule 2, the following shall be added, namely:-
“(uuu) “Premium Amount” means the amount to be paid on the basis of Rupees per cubic metre/metric ton or any other standard unit defined by the State Government for mineral dispatched from the lease granted on private land.”
- In clause (a) of sub-rule (1) of rule 9, for the words “for any area”, the words “Government Land” shall be substituted.
- Sub-rule (5) of rule 38A shall be omitted.
- In the Table of sub-rule (4) of rule 50, after serial number 3 and entries relating thereto, the following shall be added, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“4.	Lease granted on Private Land after due payment of premium	N.A.	N.A.	Ten Percent	Ten Percent”

- For clause (bba) of sub-rule (1) of rule 51, the following shall be substituted, namely:-

“(bba) The Auction Money/Premium Amount on the basis of Wholesale Price Index (WPI) shall be as under:-

$$\text{Price Escalation} = \frac{\text{Auction Money/Premium Money}}{\text{Wholesale Price Index for the Base Year}} \times \text{Wholesale Price Index for the current financial year}$$

(Clarification:- For Government Land, the year of publishing NIT will be the Base Year and for private land, the year of receiving application shall be considered base year for the matter of e-bid/tender.)”

6. In sub-rule (19) of rule 51, for the figures, words and symbol "31st September/30th April", the figures, words and symbol "30th September/31st March" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ANBALAGAN P., Secretary.